# दी सिरोही सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि0, सिरोही(राजस्थान)

भारतीय रिजर्व बैक लाईसेंस संख्या ग्रा.आ.ऋ.वि.(जय).सह. 14 दिनांक 18.01.2012
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14, बाईपास रोड, सीसीबी चौराहा, सिरोही, शाखा शिवगंज

प्रबंध निदेशक 02972– 222349 बैंक कार्यालय 02972– 221343 ई–मेल ccb.sirohi@gmail com

क्रमांक–एससीसीबी/अकृषि ऋण/2023–24/12231-235 दिनांकः–17.07.2023

## कार्यालय आदेश

बैंक में लागु सहकार किसान कल्याण ऋण योजनान्तर्गत बैंक की शाखा रेवदर मण्डार में वितरित ऋण में से अधिकतम ऋण खातो NPA चल रहे है एवं ऋण आवेदक की कृषि भूमि संयुक्त स्वामित्व की होने एवं कृषि भूमि का बंटवाड नामा नही होने से अधिकतम ऋण आवेदक संयुक्त खाता धारक के प्राप्त होने से स्वीकृति उपरान्त ऋण राशि के अवधिपार NPA होने पर जरिये कुर्की/निलामी कार्यवाही में समस्या आ रही है, एवं निलामी सफल नही हो पा रही है। इस कारण से श्रीमान प्रशासक महोदय,बैंक द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या (13) दिनांक 17.07.2023 के अनुसार बैंक हित में सहकार किसान कल्याण ऋण योजना में पूर्व में किये गये समस्त संशोधन को विलोपित किया जाकर निम्नानुसार नई संशोधित सहकार किसान कल्याण ऋण योजना बैंक में लागु की जाती है–

–:सहकार किसान कल्याण योजना:–

| बिंदु सं0 | ***संशोधित सहकार किसान कल्याण ऋण योजना*** |
|---|---|
| 1 | राज्य के सहकारी बैकों द्वारा किसानों की फसली ऋणों के अतिरिक्त कृषि साख आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु केन्द्रीय सहकारी बैकों के स्तर पर उनकी शाखाओं एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण वितरण हेतु ***„सहकार किसान कल्याण योजना„*** प्रारम्भ की जा रही है। |
| 2 | **पृष्ठ भूमिः–** आज का कृषक जिस क्षेत्र में मात्र 2 फसल होती है,मौसमी रूप से बेरोजगार रहता है तथा जोत कम होने की वजह से वे आर्थिक रूप से अल्प रोजगार(Underemployment) रहते है यदि इन काश्तकारों/कृषकों की भूमि बंधक बनाकर रखकर उन्हे साख सीमा/टर्म ऋण के रूप में वित्तपोषण किया जावें तो वे अतिरिक्त संसाधन जुटाकर आत्मनिर्भर हो सकेंगें एवं वर्तमान में जो साहूकारो के चुंगल में फसें हुए है,से मुक्ति पा सकेंगे जो कि सहकारी बैकों का मुख्य ध्येय है। सहकारी साख संरचना का ग्रामीण काश्तकारों से जुडाव निरन्तर बनाये रखने के उद्धेश्य से ***„सहकार किसान कल्याण योजना„*** प्रारम्भ की जा रही है ताकि कृषकों को फसली ऋण के अतिरिक्त अन्य आवश्यकताओं के लिए किसी अन्य वित्तीय संस्था से सर्म्पक न करना पडे। |
| 3 | **योजना का नाम–** इस योजना का नाम **„सहकार किसान कल्याण योजना„** होगा। |
| 4 | **उददेश्य**<br>1. सहकारी बैकों के माध्यम से किसानों की सभी कृषि संबंधी ऋण आवश्यकताओं को सरलीकृत प्रकिया के द्वारा एक ही छत के नीचे उपलब्ध करवाया जाना।<br>2. कृषि में अतिरिक्त आय के साधन विकसित करना एवं पशुपालन व बागवानी को प्रोत्साहन देने के अतिरिक्त कृषि में आधुनिक साधनों के उपयोग को बढ़ावा देना।<br>3. अधिक आसान शर्तो किफायती ब्याज दर एवं ऋण चुकारा करने की अवधि की ओर अधिक सुविधाजनक बनाना।<br>4. किसानों द्वारा उत्पादित कृषि जिंसों की मजबूरन बिक्री (Distress Sale) रोकना तथा उत्पादित कृषि जिंसों का उचित मूल्य उपलब्ध दिलवाना। |
| 5 | **ऋण प्रयोजन**<br>1. कृषि यंत्रीकरण– ट्रेक्टर, कल्टीवेटर, कृषि आदान व उत्पाद परिवहन वाहन, सीड ड्रिल खरीफ व रिपेयर, थ्रेसर, कुट्टी मशीन कृषि यंत्रों की खरीद व मरम्मत आदि कार्य।<br>2. सिंचाई साधन– पाईप लाईन, फव्वारा, लघु सिंचाई, निर्माण कार्य एवं मरम्मत, नाली मरम्मत व सुधार, पानी की खेली व पंप रिपेयर आदि कार्य।<br>3. बागवान विकास– बागवानी बीज उत्पादन, मेंहदी उत्पादन, फलदार पौध, नर्सरी विकास, कलि |

| | |
|---|---|
| | भूमि की फैंसिंग, मुण्डेर का निर्माण/मरम्मत, विद्युत कनेक्शन, विद्युत लाईन मरम्मत, बिजली बिल भुगतान आदि कार्य।<br>4. डेयरी विकास– दुधारू पशु खरीद, चिकित्सा, पशु बीमा, केटल शेड निर्माण, दुग्ध प्रसंस्करण यंत्र,चारा उत्पादन, मुर्गी पालन, मछली पालन, उंटगाड़ी, बैलगाड़ी खरीद/मरम्मत कार्य आदि।<br>5. चारा संग्रहण एवं भण्डारण<br>6. कृषि उपज के विरूद्ध काश्तकार को रहन ऋण उपलब्ध करवाना (योजना के विस्तृत प्रावधान परिशिष्ट–1 पर उपलब्ध हैं,<br>जोकि योजना का ही भाग है।<br>7. सौर उर्जा पम्प, ग्रीन हाउस, पोली हाउस, व्हाईट हाउस, ड्रिप सिंचाई संयंत्रों हेतु वित्त पोषण।<br>8. ऐसी कोई अन्य गतिविधि या प्रयोजन जो कृषि विकास में सहायक हो तथा जिससे कृषि से संबंधित दीर्घकालीन आधारभूत संरचना और विकास होकर कृषक को अतिरिक्त रोजगार एवं आमदनी सृजित हो, योजना में वित्त पोषण हेतु मान्य किया जा सकता है। |
| 6 | ***पात्रताः–***<br>ऋण आवेदक संबंधित जिले/केन्द्रीय सहकारी बैंक के कार्य क्षेत्र का निवासी हो। संबंधित केन्द्रीय सहकारी बैंक के कार्य क्षेत्र में स्वयं के नाम से **एकल स्वामित्व** की भार रहित कृषि भूमि हो व ऋणी स्वयं इस भूमि पर स्वयं काश्त करते हों। अर्थात राजस्व विभाग के खाता/खसरा नं. में ऋण आवेदक **एकल** नाम की खसरा जमाबंदी में स्वामित्व धारक हो, तो ही पात्र होंगें। |
| 7 | **ऋण सीमाः–**<br>1. केंद्रीय सहकारी बैंकों के द्वारा ***अधिकतम 10 लाख*** रूपये तक का ऋण स्वीकृत किया जा सकेगा। जो कृषि भूमि की DLC दर का 70 प्रतिशत देय होगा।<br>2. पैक्स/लैम्पस के माध्यम से असिंचिंत भूमि होने की स्थिति में 50 हजार रू. तथा सिंचिंत भूमि होने की स्थिति में 1 लाख रू. तक का ऋण दिया जा सकेगा। असिंचिंत एवं सिंचिंत भूमि दोनों के मामले में वणित अधिकतम ऋण सीमा के अंतर्गत टर्म ऋण के रूप में अधिकतम रूपये 1.00 लाख हजार 3 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत किये जा सकेंगें।<br>***परंतु उपरोक्त ऋण सीमा प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखी जाने वाली कृषि भूमि की डीएलसी दर का 70 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।***<br>3.सदस्य के पक्ष में ऋण राशि रू. 4.00 लाख तक ऋण सीमा का निर्धारण ऋण आवेदक की ***एकल स्वामित्व*** की उपलब्ध भारमुक्त कृषि भूमि एवं पुर्नभुगतान क्षमता के आधार पर होगा एवं साथ ऋण आवेदक के आयकर विवरणीया लेने की आवश्यकता नही होगी। अर्थात राजस्व विभाग के खाता/खसरा नं. में ऋण आवेदक ***एकल नाम की स्वामित्व धारक*** हो, तो ही पात्र होंगें।<br>एवं रू ***4.00 से रू 10.00*** लाख तक ऋण सीमा का निर्धारण ऋण आवेदक के ***एकल स्वामित्व*** की उपलब्ध भारमुक्त कृषि भूमि की उपलब्ध भूमि एवं ***विगत निरन्तर दो वर्ष के आयकर विवरणीया*** लेने के उपरान्त होगी। ***अर्थात राजस्व विभाग के खाता/खसरा नं. में ऋण आवेदक एकल नाम की स्वामित्व धारक हो, तो ही पात्र होंगें।***<br>4. उक्त ऋण योजना किसान कल्यान में ऋण आवेदक की आयु सीमा ***अधिकतम 65 वर्ष*** निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है। |
| 8 | **ब्याज दरः–**<br>इस योजनान्तर्गत दिये जाने वाले सावधि ऋण ***11.00*** प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से ब्याज वसूल किया जावेगा। |
| 9 | **ऋण का चुकाराः–**<br>योजनान्तर्गत साख आवश्यकताओं हेतु टर्म ऋण का चुकाने की अधिकतम ***अवधि 9 वर्ष होगी*** । ऋण राशि का चुकारा छः माही किश्त के रूप में करना होगा,समय पर ऋण राशि नही चुकाये जाने पर नियमानुसार अवधिपार दर से ब्याज वसूली योग्य होगा। |

| | |
|---|---|
| 10 | **ऋण की सुरक्षाः–**<br>(i)ऋण लेने हेतु किसान द्वारा अपनी ***एकल नाम की स्वामित्व वाली*** भार रहित कृषि भूमि को बैंक के पक्ष में ऋण की सुरक्षा हेतु रहन रखा जायेगा। ***अर्थात राजस्व विभाग के खाता/खसरा नं. में ऋण आवेदक एकल नाम की स्वामित्व धारक हो, तो ही पात्र होंगें। कृषि भूमि के रहन दर्ज उपरान्त ऋण वितरण किया जावेगा।***<br>इसके अतिरिक्त ***दो सक्षम व्यक्तियों की जमानत प्राप्त की जानी होगी।*** जमानतियों से *हैसियत स्वरूप उनके कृषि भूमि की जमाबंदी,भूमि प्रमाण पत्र/आवासीय सम्पति का पटटा,विक्रय विलेख/दो वर्ष के आयकर विवरणिंया,आधार कार्ड/पैन कार्ड,स्थाई निवास का प्रमाण पत्र एवं ऋण एवं जमानतियों को बैंक का नोमिनल सदस्य बनाना होगा एवं रू 1000.00 की मियादी अमानत ऋण अवधि तक करवाकर ऋण पत्रावली में सुरक्षित रखना होगा।*<br>(ii.) ऋण से सृजित सम्पतियों के बीमा के साथ–2 ऋणी स्वयं को सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजनान्तर्गत जीवन बीमा तथा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजनान्तर्गत दुर्घटना बीमा ऋणी स्वयं को करवाकर पॉलिसी बैंक शाखा में देनी अनिवार्य होगा,प्रीमियम का भार ऋणी द्वारा वहन किया जावेगा। अन्यथा ऋणी द्वारा लिखकर दिया जावेगा कि बैंक शाखा मेरे खाते में प्रीमियम राशि नामे कर बीमा पॉलिसी करवाये,उसके उपरान्त बैंक शाखा द्वारा सहकार जीवन बीमा एवं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा करवाया जावेगा।<br>(iii.)शाखा प्रबन्धक ऋण वितरण से पूर्व ऋणी के वैधानिक उत्तराधिकार से रू 500 के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर ऋण राशि समय पर चुकाने का शपथ पत्र नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित कराकर प्राप्त/प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। |
| 11 | **दस्तावेज–**<br>आवेदक द्वारा साधारण कागज पर ऋण का प्रयोजन एवं आवश्यकता दर्शाते हुए फोटो युक्त, ऋण आवेदन पत्र मय ऋण प्रयोजन का स्वघोषणा पत्र,भूमि से संबंधित आवश्यक दस्तावेज, सदस्यता, विवरण, जमानत नामा आदि के साथ आवेदन पत्र केन्द्रीय सहकारी बैंक में आवेदन किया जायेगा/नियमानुसार मांग वचन पत्र, समय वचन पत्र, ऋण अनुबन्ध, उपयोगिता पत्र, ऋण स्वीकृति पत्र इत्यादि प्रस्तुत करने होगें। |
| 12 | ***अन्य–***<br>योजना हेतु परिचालनात्मक मार्ग निर्देश/अन्य बिन्दुओं पर मार्गदर्शन अपेक्स बैंक द्वारा पूर्व में समान उददेश्यों हेतु प्रचलित किसान सम्बल योजाना व नाबार्ड/भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश आदि को ध्यान में रखते हुए प्रदान किये जा सकेगें। |

उपरोक्तानुसार नई संशोधित सहकार किसान कल्याण ऋण योजना तत्काल बैंक में लागू की जाती है। उपरोक्तानुसार ऋण आवेदन नियमानुसार तैयार कर स्वीकृति हेतु प्रधान कार्यालय अग्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(नारायण सिंह)
प्रबन्ध निदेशक
दिनांकः–17.07.2023

क्रमांक–एससीसीबी/अकृषि ऋण/2023–24/12231-235

प्रतिलिपीः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1.श्रीमान प्रशासक महोदय,दी सिरोही सैन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि.सिरोही।
2.अधिशाषी अधिकारी,बैंक प्रधान कार्यालय सिरोही।
3.वरिष्ठ प्रबन्धक/प्रबन्धक समस्त/नोडल अधिकारी(कृषि/अकृषि ऋण) बैंक प्रधान कार्यालय सिरोही।
4.शाखा प्रबन्धक,बैंक शाखा समस्त को भेजकर लेख है कि उपरोक्त ऋण योजना अनुसार ऋण पत्रावली तैयार कर स्वीकृति हेतु बैंक प्रधान कार्यालय भेजे।
5.ऋण नियम पत्रावली।

प्रबन्ध निदेशक